

उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.

सं० :- 08/2020

दायर दिनांक :- 06.01.2020

अनवान

श्री प्रभु पिता रामनारायण कुम्हार नि. ईटुन्दा तह० जहाजपुर  
प्रार्थी.....

बनाम

1. श्री रमेश पिता कल्याण कुम्हार नि. ईटुन्दा तह० जहाजपुर
2. श्री कजोड पिता हरदेव कुम्हार नि. ईटुन्दा तह० जहाजपुर
3. श्री दुर्गालाल पिता उंकार कुम्हार नि. ईटुन्दा तह० जहाजपुर
4. श्री केशरा पिता नारायण कुम्हार नि. ईटुन्दा तह० जहाजपुर
5. श्री रामदयाल पिता नारायण कुम्हार नि. ईटुन्दा तह० जहाजपुर
6. श्री सोराज पिता गेन्दीलाल मीणा नि. चान्दाढण्ड तह० जहाजपुर
7. श्री भंवर लाल पिता गेन्दीलाल मीणा नि. चान्दाढण्ड तह० जहाजपुर
8. श्री प्रभु लाल पिता श्रवण मीणा नि. चान्दाढण्ड तह० जहाजपुर
9. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 03.03.2020

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम चान्दाढण्ड प० ह० ईटुन्दा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 1908/3 रकबा 03.00 बीघा भुमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की तारीख में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चान्दाढण्ड प० ह० ईटुन्दा तह० जहाजपुर में स्थित कृषि आ० सं० 1908/3 रकबा 03.00 बीघा भुमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उम्मेद सिंह राजावत )

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)  
जहाजपुर (भीलवाडा)